प्रेषकः संख्या–363 / सत्तर–7–2019–बी.एड.(16) / 2011

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा
संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

उच्च शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊः दिनांक–23 अगस्त 2019

विषयः– निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी.एड. पाठ्यक्रम शिक्षण सत्र 2019–20 के लिये पाठ्यक्रम शुल्क का पुर्ननिर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन.सी.टी.ई. नियमावली, 2002 के प्रस्तर–'6'(3) के प्राविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत निर्मित उ.प्र. निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 अधिसूचना संख्या–1561 / सोलह–1–2008–5(डब्लयू–48) / 2003 दिनांक 01.05.2008 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली में स्थापित प्राविधानों के अनुसार व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के कार्यालय आदेश संख्या–2463 / 2008–सोलह–ए–5(डब्लयू–48) / 2003 दिनांक 27 जून 2008 द्वारा निजी क्षेत्र के बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 20.08.2019 को सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में हुयी।

2 समिति की उक्त बैठक में शासनादेश संख्या–बी.एड.–09 / सत्तर–3–2014–बी.एड.(16) / 2011 दिनांक 29 जनवरी 2015 द्वारा प्रदेश के निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शुल्क प्रथम वर्ष हेतु रू 51,250=00 तथा द्वितीय वर्ष के लिये रू 30,000=00 पाठ्यक्रम शुल्क को पुर्ननिर्धारित किये जाने पर सम्यक विचार किया गया। प्रदेश मे बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु इस वर्ष बी.एड. संयुक्त प्रवेश परीक्षा महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा आयोजित कराये जाने के फलस्वरूप वर्तमान सत्र हेतु उपलब्ध बी.एड. पाठ्यक्रम में कुल सीटों के सापेक्ष काउन्सलिंग के उपरान्त भरी गयी सीटे एवं रिक्त रह गयी सीटों की स्थिति पर विचार किया गया। इस तथ्य को छात्र–छात्राओं में बी.एड. के प्रति अभिरूचि / मांग को कम होने का द्योतक पाते हुये सर्वसम्मति से समिति द्वारा प्रदेश के **निजी शिक्षण संस्थाओं में बी.एड.पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र 2019–20 हेतु शुल्क न बढ़ाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है तथा पूर्व की भांति बी.एड. प्रथम वर्ष हेतु रू 51,250=00 तथा द्वितीय वर्ष के लिये रू 30,000=00 निर्धारित किया गया है।**

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह / –
(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
संयुक्त सचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक : 428 / प्रवेश सेल / 2019 दिनांक : 26.08.2019

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या,
सम्बद्ध बी.एड. महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

महोदय,

शासन के उपरोक्त पत्र संख्या– संख्या–363 / सत्तर–7–2019–बी.एड.(16) / 2011 के क्रम में बी.एड.पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र 2019–20 हेतु शुल्क न बढ़ाये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है तथा पूर्व की भांति बी.एड. प्रथम वर्ष हेतु रू 51,250=00 तथा द्वितीय वर्ष के लिये रू 30,000=00 शुल्क निर्धारित किया गया है। अतः शासन द्वारा प्रेषित सूचना सज्ञानार्थ प्रेषित है।

ह / –
कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखत को सूचनार्थ–

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–7, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
2. वित्त अधिकारी, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
3. परीक्षा नियन्त्रक, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
4. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

ह / –
कुलसचिव